DOI: 10.51220/hjssh.v3i1.10

Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities, Vol 3 pp. 71-94, 2008

सल्तनत कालीन कटेहर की प्रशासकीय व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलू

सुनील कुमार

इतिहास विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर, पौड़ी (गढ़वाल)

Received 17.2.2008, Accepted 28.12.2008

ABSTRACT

पौराणिक व प्राचीन कालीन उत्तर पाँचाल एवं आधुनिक रुहेलखण्ड को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौर में कटेहर नाम से जाना जाता है। 1174 ई0 के लगभग इस क्षेत्रा में राजपूतों का आगमन हुआ और वे कटेहरिया राजपूत कहलाए। लगभग सम्पूर्ण सल्तनत काल (1206 ई0-1526 ई0) में इस क्षेत्र में दिल्ली के सुल्तानों और उनके प्रतिनिधियों तथा कटेहरिया राजपूतों के मध्य तनाव अथवा संघर्ष रहा। प्रस्तुत शोध पत्र इस कालखण्ड में कटेहर क्षेत्र को अपने नियन्त्रण में बनाए रखने के लिए विभिन्न सुल्तानों व अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रशासकीय गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेशणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

Keywords- *Katehar, Data, Maqti, Admisnistractive setup, Analysis.*

दिल्ली सल्तनत की प्रशासकीय व्यवस्था अपने पूर्ववर्ती राजपूत राज्यों से भिन्न थी। यह भिन्नता इक़्ता व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती है। यह इक़्ता व्यवस्था ही सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था का मूलाधार रही। ''इक़्ता'' अरबी भाषा का शब्द है, जिसे एक प्रकार के प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी के अनुसार इक़्ता से तात्पर्य उस भूमि से है, जो सेना के सरदारों को सेना रखने और उसका उचित प्रबन्ध करने के लिए दी जाती थी। हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त तुर्क जिस भाग पर विजय प्राप्त करते थे, उस भाग को विभिन्न इक़्ताओं में विभाजित करके प्रत्येक भाग एक सरदार को प्रदान कर देते थे।[१]

सामान्यतया राज्य द्वारा व्यक्ति विशेष को प्रदत्त भू भाग को इक़्ता कहा जाता था। इसे हस्तान्तरित लगान अधिन्यास भी कह सकते हैं, जिसमें शासक वर्ग के लिए आय की व्यवस्था हो जाती थी। सुल्तानों ने अमीर वर्ग को नकद वेतन के बदले में इक़्ता प्रदान करने की परम्परा प्रारम्भ कर दी। अधिकारियों को, जो इक़्ता प्रदान किया जाता था उसके बदले में उन्हें अपने अधीन एक सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, जिसकी व्यवस्था वह इक़्ते से प्राप्त आमदनी से करता था। इक़्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को सामान्यतया मुक्ती, वली, इक़्तादार या अमीर कहा जाता था। यह अधिकारी ही इक़्ते

लखनौती व अवध में मुक्ती नियुक्त किया गया।[6] इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ीरोज़शाह के शासनकाल (1236 ई0) में मलिक इज़्ज़ुद्दीन मुहम्मद सालारी बदायूं का इक़्तादार था। सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ीरोज़शाह के शासनकाल में जो लगभग सात मास चला, उसकी माता शाह तुर्कान के शासन में हस्तक्षेप के कारण व अत्याचारों के कारण बदायूं के इक्तादार मलिक इज़्ज़ुद्दीन मुहम्मद सालारी ने भी विद्रोह कर दिया था।[7] प्रधानमन्त्री निज़ामुल्मुल्क जुनैदी का सहयोग भी इसे प्राप्त था। इनके विद्रोह ने सुल्तान के लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी और सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ीरोज़ शाह के पतन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

सुल्ताना रज़िया ने 1237 ई0 में मलिक इख़्तियारुद्दीन एतगीन को बदायूं का मुक्ती नियुक्त किया। इल्तुतमिश के समय से ही एतगीन ने सल्तनत की महत्त्वूर्ण पदों पर रहकर सेवा की थी। इल्तुतमिश के शासन के प्रारम्भिक दिनों में इसे सरजांदार नियुक्त किया गया और कुछ ही समय बाद उसकी योग्यता से प्रभावित होकर मन्सूरपुर का इक्ता इसे सौंपा गया। कुछ काल पश्चात् इसे ख़ुजा तथा नन्दना का इक़्ता सौंपा गया और सीमा पर इसने महत्त्वपूर्ण सेवा की। जब रजिया सुल्ताना बनी, तो उसने इसे दरबार में बुलाकर बदायूं का इक़्ता सौंपा।[8] बदायूँ का मुक्ती नियुक्त होने तक मलिक इख़्तियारुद्दीन एतगीन सल्तनत की लगभग पच्चीस वर्ष सेवा कर चुका था।[9] कुछ समय पश्चात् इसे अमीर-ए-हाज़िब नियुक्त किया गया, परन्तु जमालुद्दीन याकूत नामक अबीसीनिया निवासी के प्रति विशेष कृपा पूर्ण व्यवहार के कारण अनेक अमीर सुल्ताना रज़िया के प्रति द्वेष एवं घृणा का भाव रखने लगे, जिनमें प्रमुख अमीर-ए-हाज़िब इख़्तियारुद्दीन एतगीन था। रजिया को अपदस्थ करने के पश्चात् एतगीन को नायबे मुमलकत नियुक्त किया गया, किन्तु नए सुल्तान मुईज़्ज़ुद्दीन बहरामशाह ने शीघ्र ही 1240 ई0 में एतगीन की हत्या करवा दी।

मिनहाज ने एक अन्य अमीर मलिक बद्र-उद्-दीन सूंकर रुमी का उल्लेख भी विस्तार से किया है। जब सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे खरीदा, तो उसे तश्तदार बनाया। इस कार्य को कुछ समय तक निभाने के पश्चात् उसे भालादार नियुक्त किया गया। फिर इसे बदायूं के जर्रादख़ाना का शाहाना बनाया गया। तत्पश्चात् वह नायब अमीर-ए-हाजिब नियुक्त हुआ और कुछ समय बाद नायब अमीर-ए-आख़ूर बनाया गया। इस दायित्व को इसने इतनी योग्यता से किया कि सुल्तान सन्तुष्ट रहा। जब वह अमीर-ए-आख़ूर हुआ तो वह शाही अस्तबल के प्रवेश द्वार से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता था और सदैव सुल्तान की सेवा के लिए उपस्थित रहता था।

1239 ई0 में बद्र-उद-दीन सूंकर रुमी को रज़िया सुल्ताना ने बदायूं का मुक़्ती नियुक्त किया। मलिक इख़्तियारुद्दीन एतगीन की हत्या के पश्चात् सुल्तान मुईज़्ज़ुद्दीन बहरामशाह ने बदायूँ से मलिक़ बद्र-उद-दीन सूंकर को बुलाया और अमीर-ए-हाजिब नियुक्त किया।[१०] 1241 ई0 में अमीर-ए-हाजिब बद्र-उद-दीन सूंकर ने सुल्तान के विरुद्ध षडयन्त्र रचने के लिए सद्रुल्मुल्क सैयद ताजुद्दीन अली मूसवी ''मुशरिफ़े ममालिक'' के घर एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सुल्तान को एक विश्वासपात्र द्वारा इस गुप्त सभा के आयोजन व षड्यन्त्र की सूचना समय पर मिल गयी। सुल्तान ने षड्यन्त्रकारियों को पृथक होने के पूर्व ही बंदी बना लिया। सम्भवतः सुल्तान उन्हें क़ठिन दण्ड देने की स्थिति में नहीं था। उसने या तो विद्रोहियों को स्थानान्तरित किया या उन्हें पदच्युत किया। बद्र-उद्-दीन सूंकर सुल्तान के दल में सम्मिलित हो गया। बद्र-उद्-दीन को आदेश हुआ कि वह बदायूँ जाकर उस प्रान्त का शासन सम्भाले। इस प्रकार बद्र-उद्-दीन सूंकर को बदायूँ का इक़्तादार बनाकर भेज दिया गया। परन्तु चार मास[११] पश्चात् वह बिना सुल्तान की आज्ञा के दिल्ली वापस आ गया, जहाँ उसे राजाज्ञानुसार बन्दी बनाया गया और वहीं 1241 ई0 में उसकी मृत्यु हो गयी।

इसी प्रकार मलिक ताजुद्दीन सन्जर-ए-कुतलुग को सुल्तान इल्तुतमिश ने ज़मालुद्दीन से खरीदा था। इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में इसे जामादार का दायित्व सौंपा गया और कुछ समय बाद शाहना-ए-आख़ूर नियुक्त किया गया। मुईज़्ज़ुद्दीन बहरामशाह के सुल्तान बनने पर इसने बहुत सेवायें कीं। अलाउद्दीन मसूदशाह के शासनकाल में 1241 ई0 में इसे बदायूँ का मुक़्ती नियुक्त किया गया। मिनहाज़ के अनुसार इसने बदायूँ में कटेहर की स्वतन्त्र जातियों को उखाड़ फेंका और मूर्तिपूजकों के विरुद्ध अनेक अभियान किए। इसने अनेक स्थानों पर जामा मस्ज़िदों का निर्माण और ख़ातिबों के लिए चबूतरों का निर्माण कराया।[१२]

बदायूँ के एक अन्य मुक़्ती ताजुद्दीन संजर-ए-कुरीत खाँ के विषय में इतना ही उल्लेख प्राप्त होता है कि 1242 ई0 में इसे शाहना-ए-पील बनाया गया, कुछ समय पश्चात् यह सरजांदार बना। इसके पश्चात इसे बदायूँ का मुक़्ती बनाया गया और कुछ समय बाद इसने अवध की जागीर प्राप्त कर ली।[१३] सुल्तान अलाउद्दीन मसूदशाह के शासनकाल (1242-1246 ई0) में बदायूं, मलिक ताजुद्दीन सन्जर-ए-कुतलुग को सौंपा गया। मिनहाजुस सिराज ने इसकी इक़्तादारी के काल में दिल्ली से लखनौती तक जाते समय बदायूं में विश्राम किया था, जहाँ पर ताजुद्दीन कुतलुग ने उसको अच्छी ख़ातिर की थी।[१४]

सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अपने शासन के दूसरे वर्ष में 20 मई 1248 ई0 को दिल्ली पहुंचा और ठाठ से गद्दी पर बैठा। उस समय सुल्तान का सौतेला भाई जलालुद्दीन मसूदशाह जो कन्नौज का मुक्ती था उससे भेंट करने आया और उसे सम्भल तथा बदायूं की इक्ताएँ प्रदान की गयीं, परन्तु कुछ समय पश्चात् वह इन दोनों ज़िलों से डरकर वापस दिल्ली आ गया।[१५] नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में बदायूँ से सम्बन्धित कुछ अन्य इक्तादारों या गवर्नरों का उल्लेख प्राप्त होता है। 1251 ई0 में नागौर के मलिक इज़्ज़ुद्दीन बलबन किशलू ख़ाँ ने विद्रोह कर दिया। इसके दमन के लिए सुल्तान ने स्वयं प्रयाण किया और इज़्ज़ुद्दीन को सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। कुछ समय पश्चात् इज़्ज़ुद्दीन का संघर्ष शेर ख़ाँ से हुआ और उच्छ का दुर्ग शेर ख़ाँ को सौंपना पड़ा।

इस सारे प्रकरण की शिकायत लेकर इज़्ज़ुद्दीन बलबन किशलू ख़ां उच्छ से सीधी दिल्ली में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के पास पहुंचा । मिनहाजुस सिराज के अनुसार वह 10 जुलाई 1251 ई0 को दिल्ली पहुंचा था। सुल्तान ने उसे बदायूँ का इक्ता प्रदान कर दिया।[१६] 1252 ई0 तक यही इज़्ज़ुद्दीन बलबन किशलू ख़ाँ बदायूँ का प्रमुख था, क्योंकि इस वर्ष सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने जब बलबन के विरुद्धप्रयाण किया, तो बदायूं से इज़्ज़ुद्दीन बलबन कि शिलू ख़ां ने भी अन्य अमीरों के साथ सुल्तान की सहायता की थी।[१७] यह काल इमादुद्दीन रायहन के उत्थान का था। बलबन से हाँसी का इक्ता और अमीर-ए-हाजिब का पद, दोनों ही ले लिए गए। इज़्ज़ुद्दीन बलबन किशलू ख़ां नायब अमीर-ए-हाजिब बनाया गया और रायहन को वकीलेदर नियुक्त किया गया।

1254 ई0 में कटेहर में विद्रोह हुआ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने रायहन के साथ[१८] कटेहर की ओर प्रस्थान किया । वहां कठोर दमनचक्र चलाया गया। इसी वर्ष में धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि अधिकांश अमीर तथा मलिक रायहन से घृणा करते हैं और उनकी सहानुभूति बलबन के साथ है। मिनहाजुस सिराज के अनुसार ''समस्त मलिकों ने सुल्तान की सेवा में निवेदन किया कि हम अन्नदाता के दास तथा आज्ञाकारी हैं, किन्तु हमें इमादुद्दीन रायहन के षड्यन्त्र तथा कुकर्मों से बड़ा भय है। यदि उसे वह दरबार से पृथक् करके किसी अन्य ओर भेज दें, तो हम सब आज्ञा पालन तथा सेवा के लिए तैयार हैं।[१९]

अपनी कमजोर स्थिति और अमीरों की एकजुटता को देखते हुए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 15 दिसम्बर 1254 ई0 को इमादुद्दीन रायहन को वकीलेदर के पद से हटा दिया और उसे बदायूं जागीर के रूप में प्रदान किया गया।[२०] कुछ समय बाद जब बलबन की शक्ति केन्द्र में बढ़ गई, तो

उसने इमादुद्दीन राहन को बहराइच भेजकर दिल्ली से और दूर कर दिया। 1255 ई0 में अगस्त-सितम्बर के महीने में उसे मौत के घाट उतार दिया गया।[२१]

इसके पश्चात् ताजुद्दीन संजर-ए-तेजख़ाँ (तरख़ान) का उल्लेख प्राप्त होता है। इसे इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया था मुइज़्ज़ुद्दीन बहरामशाह के शासनकाल में इसे अमीर-ए-आख़ूर नियुक्त किया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में यह नायब अमीर-ए-हाजिब नियुक्त किया गया। 1256 ई0 में इसे वकीलेदार नियुक्त किया गया और बदायूँ की जागीर प्रदान की गयी।[२२]

सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में बदायूं के इक़्तादार के रूप में मलिक बकबक का उल्लेख प्राप्त होता है। मलिक बकबक बलबन का एक दास था। वह सरजानदार था और दरबार के सेवकों में उसको विशेष अधिकार थे। उसके पास चार हजार घुड़सवार थे और वह बदायूं का इक़्तादार था। जब वह बदायूं में था, तो एक दिन मद्यपान करके उन्मत्त हो गया और अपने घरेलू सेवक (फर्राश) को इतनी निर्दयता से कोड़ों से पिटवाया कि उसकी मृत्यु हो गयी। कुछ समय बाद सुल्तान बलबन जब बदायूं गया, तब फर्राश की विधवा ने सुल्तान से इस घटना की शिकायत की। ज़ियाउद्दीन बरनी के अनुसार सुल्तान ने तुरन्त ही आदेश दिया कि बदायूं के जागीरदार मलिक बकबक को उस विधवा के समक्ष यातना देकर मार डाला जाए। साथ ही, बदायूँ की जागीर की खबरें देने के लिये जो गुप्तचर नियुक्त थे, और जिन्होंने इस घटना को सूचना नहीं थी, सुल्तान के आदेशानुसार उन्हें कस्बे के दरवाजे पर मार कर लटका दिया गया।[२३]

बलबन के समय में बदायूँ के किसी अन्य इक़्तादार की सूचना हमें प्राप्त नहीं हो पाती। मुईज़ुद्दीन कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलज़ी समाना का राज्यपाल और दरबार का सरजानदार था। सुल्तान कैकुबाद ने बाद में इसे अर्ज़-ए-ममालिक नियुक्त किया और बदायूँ की जागीर दी।[२४] इस प्रकार कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी बदायूँ का इक़्तादार था।

अत: सल्तनत के प्रारम्भिक चरण में अर्थात तथाकथित गुलाम वंश के शासनकाल में, जो स्थिति ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उद्घाटित होती है, उसके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण बदायूँ का महत्त्व सुल्तानों की दृष्टि में विशेष रहता था और वहाँ पर प्राय: सदैव अनुभवी इक़्तादारों की ही नियुक्ति की जाती थी। डॉ0 निगम ने इलबरी सुल्तानों के काल में (1206 से 1260 ई0) प्रोन्नतियों की जो सूची दी है, वह इसी तथ्य को पुष्ट करती है।[२५]

इज़्ज़ुद्दीन तुग़रिल तुग़न ख़ाँ क्रमशः साकी-ए-खास, दवातदार, चाशनीगीर, अमीरे आखूर और अन्ततः 1232 ई0 में बदायूँ का मुक्ती नियुक्त हुआ। इख़्तियारुद्दीन एतगीन क्रमशः सरजानदार, मन्सूरपुर का मुक्ती ख़ुजा और नन्दना का मुक्ती और अन्ततः 1237 ई0 में बदायूँ का मुक्ती बनाया गया। बद्रुद्दीन सूंकर रुमी क्रमशः तश्तदार, भालादार, बदायूँ का शाहाना, नाइब अमीर-ए-हाजिब, नाइब अमीर-ए-आखूर और और बदायूं का मुक्ती 1239 ई0 में बना। तत्पश्चात् अमीर-ए-हाजिब बनाया गया और पुनः 1241 ई0 में बदायूँ का मुक्ती नियुक्त किया गया। इसी प्रकार ताजुद्दीन संजर कुतलक सर्वप्रथम जामादार फिर क्रमशः शाहाना-ए-आखूर, बरन का मुक्ती, सरसुती का मुक्ती और अन्ततः 1241 ई0 में बदायूँ का मुक्ती नियुक्त किया गया।

यह भी द्रष्टव्य है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में पूर्वाद्ध तक भी बदायूँ में नियुक्त मुक्ती का सम्पूर्ण दायित्व वहाँकी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना ही होता था अर्थात मुक्ती का दायित्व बदायूँ के इक्ता तक ही सीमित रहता था, परन्तु 1256 ई0 में इस नीति में थोड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस वर्ष ताजुद्दीन संजर-ए-तरखान को वकीलेदार भी नियुक्त किया गया और बदायूँ का इक्ता भी सौंपा गया। इसी प्रकार बलबन के शासनकाल में मलिक बकबक सरजानदार भी था और बदायूं का इक्तादार भी। यह परिवर्तन इंगित करता है कि कोई व्यक्ति केन्द्र में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करने के साथ-साथ मुक्ती भी नियुक्त हो सकता था। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे मुक्ती स्वयं तो केन्द्र में रहते रहे होंगे, कभी-कभी अपने इक्ते का दौरा करते रहे होंगे और इक्ता का शासन उनके अन्य विश्वासपात्रों के द्वारा चलाया जाता रहा होगा। इस दोहरे कार्यभार से निश्चित ही आर्थिक बचत होती थी।

खिलजी शासनकाल में बदायूँ के इक्तादारों के विषय में सूचनाएँ बहुत कम प्राप्त हैं। समकालीन व परवर्ती इतिहास लेखकों ने बदायूँ से जुड़ी कुछ घटनाओं का विवरण तो दिया है, परन्तु अमीरों का नामोल्लेख तक करने में वे प्रायः मौन हैं। सर्वप्रथम बदायूँ के सन्दर्भ में उल्लेख प्राप्त होता है कि सीदी मौला के षड्यन्त्र का पता लगने पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने प्रमुख अपराधियों को दण्डित किया और काज़ी के पास भेज दिया।[२६] खिलज़ी शासनकाल में हमें केवल तीन अमीरों के नाम प्राप्त होते हैं। तारीख-ए-मुबारकशाही के अनुसार बलबनी अमीरों के विद्रोह का समाचार आने पर सुल्तान अलाउद्दीन ख़िलज़ी ने मलिक मुग़लाती को बदायूँ का गवर्नर बनाकर भेजा समकालीन स्रोत मुग़लाती का उल्लेख नहीं करते। परवर्ती लेखक याहिया बिन अहमद ने उसका उल्लेख किया है।

बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक उमर बदायूँ का मुक्ती था। इसके विद्रोह करने पर कुछ प्रमुख अमीरों को इसके विरुद्ध भेजा गया। मलिक उमर पकड़ा गया और उसकी आँखें फोड़कर उसे दंडित किया गया। खिलजी शासनकाल में एक अन्य अमीर मलिक दीनार का उल्लेख प्राप्त होता है। बरनी के ही अनुसार जब पड़ोस के क्षेत्र जैसे अमरोहा, अफ़गानपुर, काबर, मेरठ आदि खालिसा भूमि में सम्मिलित कर लिए गए, तब भी बदायूँ मलिक दीनार का इक़्ता बना रहा। [२७]

सल्तनतकालीन द्वितीय चरण में कटेहर की प्रशासकीय व्यवस्था :-

तुग़लक सुल्तानों के काल में कटेहर में नियुक्त अमीरों की कार्रवाइयों का क्षेत्र विस्तृत हो गया और अब इनकी गतिविधियाँ बदायूँ, अमरोहा और सम्भल के आस-पास होती रहीं। समकालीन यात्री इब्नेबतूता के वर्णन से इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है कि बदायूँ सम्भल प्रदेश में एक नगर है।[२८] इसी प्रकार ख़ानकाह के लिए अनाज की उपलब्धता का उल्लेख करते समय वह अमरोहा की महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक स्थिति का विवरण देता है। उसके अनुसार सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक के आदेशानुसार वज़ीर ने ख़ानकाह के लिए निर्धारित अनाज में से दस हजार मन अनाज दे दिया और शेष के लिए लिख दिया कि हजार अमरोहा के इलाके से दे दिया जाय। अमरोहा का वालिये ख़राज (कर का प्रबन्धक) अज़ीज़ खम्मार था और वहाँ का अमीर शम्सुद्दीन बदख़्शानी था।

इब्नेबतूता ने अपने कुछ आदमी अनाज लेने के लिए अमरोहा भेजे। ये लोग अज़ीज़ ख़म्मार से कुछ ही अनाज प्राप्त कर सके और उसकी धूर्तता की शिकायत इब्नेबतूता से की। इब्नेबतूता लिखता है कि ''अतः शेष अनाज प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं गया । देहली से इस स्थान तक तीन दिन यात्र करनी पड़ती है। वर्षा ऋतु थी। मैने स्वयं तीस आदमी लिए। दो गायक भी अपने साथ ले लिए। वे दोनों भाई थे। वे मांर्ग में मुझे गाना गाकर सुनाते थे। जब हम बिजनौर पहुँचे, तो तीन अन्य गायक मिले। वे तीनों भी भाई थे। मैंने उन लोगों को भी साथ ले लिया। वे और पहले वाले दोनों गायक मुझे बारी-बारी गाना गा गा कर सुनाते थे।''

''फिर हम अमरोहा पहुँचे। यह छोटा सा नगर सुन्दर है। वहाँ के अधिकारी मेरे स्वागतार्थ आए। नगर का काज़ी शरीफ अमीर अली तथा ख़ानकाह के शेख भी आए। इन लोगों ने मिलकर मेरे लिए बड़े अच्छे भोज का प्रबन्ध किया। अज़ीज़ ख़म्मार सरयू नदी के तट पर स्थित अफ़गारपुर नामक स्थान

पर था। यह नदी हमारे तथा अफ़गानपुर के बीच में थी। कोई नाव वहाँ उपलब्ध न थी। हमने लकड़ी के तख़्तों तथा घासफूस से बेड़ा तैयार कराया और उसमें अपना सामान रखा और दूसरे दिन नदी के पार हुए । अज़ीज़ का भाई नज़ीब अपने कुछ साथियों को लेकर हमारे स्वागतार्थ आया और हमारे लिए एक सिराचा (शिविर) लगवाया। तत्पश्चात् उसका भाई वाली आया। वह अपने अत्याचार के कारण बड़ा कुप्रसिद्ध था। उसके अधीन पन्द्रह सौ ग्राम थे और उनका वार्षिक कर साठ लाख (चाँदी के टंके) था। इसका बीसवाँ भाग उसे प्राप्त होता था। [२९]

इब्नेबतूता का उपरोक्त विवरण जानकारी देता है कि मुहम्मद बिन तुग़लक के समय अमरोहा एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हो चुका था। वह उन ग्रामों का केन्द्र था, जहाँ से अनाज एकत्रित होकर वहाँ लाया जाता था। अत: अनाज उत्पादन की स्थिति उन्नत थी। यहं भी स्पष्ट हो जाता है कि अमीर शम्सुद्दीन बदख़्शानी की अपेक्षा वली उल खराज अज़ीज़ ख़म्मार की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ थी। प्रशासनिक दृष्टि से भी वह शक्तिशाली व अत्याचारी था। इस काल में कटेहर में अपेक्षाकृत शान्ति रहने का यह एक कारण हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1347-48 ई0 तक अज़ीज़ ख़म्मार अमरोहा में कार्यरत रहा, क्योंकि इसी वर्ष उसे मालवा सौंपा गया।

फ़ीरोज़ तुग़लक़ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सैयद मुहम्मद बदायूँ का मुक्ती था। सैयद मुहम्मद की 1379 ई0 में कटेहर में मुकद्दम खड़गू ने हत्या कर दी। याहिया बिन अहमद ने तारीख़े-मुबारकशाही में लिखा है कि खड़गू ने बदायूँ की शिक के मुक्ती सैयद मुहम्मद तथा उसके भाई सैयद अलाउद्दीन को अपने निवास स्थान पर एक प्रीतिभोज में आमंत्रित किया और विश्वासघात करके उनकी हत्या करवा दी। 1380-81 ई0 में सुल्तान ने सैनिकों के प्रतिकार हेतु कटेहर की ओर प्रस्थान किया, और उस प्रदेश को विधवंस कर दिया। इस अभियान के पश्चात् बदायूँ को सरपर्दादारे खास मलिक कुबूल कुरान ख़ाँ के अधीन कर दिया गयां कटेहरियों की शक्ति और उसके विस्तार पर नियन्त्रण रखने के लिए सम्भल में भी मलिक खताब अफगान को नियुक्त किया। शिकार के बहाने सुल्तान प्रतिवर्ष कटेहर जाता रहा।[३०] प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने भी स्वीकार किया है कि फ़ीरोज़ ने दो कठोर राज्यपाल बदायूं और सम्भल में नियुक्त किए और शिक़ार खेलने के बहाने सम्भल का क्षेत्र प्रत्येक वर्ष उजाड़ा।[३१]

अन्तिम तुग़लक़ सुल्तान महमूद तुग़लक़ ने 1410-11 ई0 में और अगस्त सितम्बर 1412 ई0 में शिकार करने के लिए कटेहर की यात्रा की थी। सुल्तान महमूद तुग़लक़ के काल में असदख़ाँ लोदी

सम्भल के गवर्नर के पद पर था। तुग़लक़ सुल्तानों के काल (1320-1412 ई0) में कटेहर की प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ता, जिसका कारण समकालीन व परवर्ती इतिहास लेखकों का मौन है। जो विवरण प्राप्त होता है, उससे इस क्षेत्र के प्रशासकीय अधिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति के साथ-साथ कटेहरियों के बढ़े हुए हौसले भी स्पष्ट हो जाते हैं। फ़ीरोज़ तुग़लक़ व महमूद तुग़लक़ शिकार के लिए समय-समय पर कटेहर क्षेत्र में आते रहे, जिससे ज्ञात होता है कि शासन के प्रतिनिधि अर्थात इक़्ते के अधिकारी उनके आवागमन, शिकार अभियान ओर रहन-साहन, खान-पान की व्यवस्था करने के लिए इस इलाके में सक्रिय रहे होंगे।

सल्तनतकालीन तृतीय चरण में कटेहर की प्रशासकीय व्यवस्था :-

सैयद सुल्तानों के शासनकाल में कटेहर सम्बन्धी विवरण कुछ अधिक मात्र में उपलब्ध हो जाता है। 1414-1415 ई0 में जिस समय सुल्तान ख़िज्र ख़ाँ के आदेश पर ताजुल्मुल्क ने कटेहर पर आक्रमण किया, उस समय बदायूं का अमीर महाबत ख़ाँ ताजुल्मुल्क से मिलने आया। कटेहर के शासक हरसिंह के शक्ति बढ़ा लेने पर जब पुनः 1418 ई0 में हर सिंह का दमन करने के लिए ताजुल्मुल्क कटेहर के इलाके में आया, तो बदायूँ के अमीर महाबत ख़ाँ ने भी उसकी सहायता की थी, परन्तु इतना होने पर भी इस इलाके पर ख़िज्र ख़ाँ का निर्विवाद अधिकार स्थापित न हो सकता, इसीलिए सुल्तान ख़िज्र ख़ाँ ने स्वयं 1418 ई0 के अन्त में कटेहर की ओर प्रस्थान किया और रहब तथा सम्भल के जंगलों का विनाश किया।

ख़िज्र ख़ाँ के बदायूँ की ओर बढ़ने की खबर पाकर बदायूँ के अमीर महाबत ख़ाँ के हृदय में भय व्याप्त हो गया और वह बदायूं के किले में बन्द हो गया । सुल्तान ख़िज्र खां किले के अन्दर बन्द होकर युद्ध करता रहा।[32] किले पर विजय प्राप्त होने वाली थी कि कुछ अमीर तथा मलिक उदाहरणार्थ किवामख़ाँ, इख़्तियार ख़ाँ तथा महमूद शाह के दास जो दौलत ख़ाँ का साथ छोड़कर रायाते आला (सुल्तान ख़िज्र ख़ाँ) से मिल गए थे, विश्वासघात की योजनाएँ बनाने लगे। जब रायाते आला को यह समाचार ज्ञात हुए, तो वह बदायूं के किले को छोड़कर देहली की ओर वापस हो गया। 1420 ई0 में पुनः ताजुल्मुल्क को कटेहर भेजा गया और उसने कटेहर के शासक राय हर सिंह से उपहार प्राप्त किए।

1421 ई0 में सुल्तान ख़िज्र ख़ाँ की मृत्यु हो गयी और मुबारकशाह सैयद गद्दी पर बैठा।

1423 ई0 में पुन: महाबत ख़ाँ का उल्लेख प्राप्त होता है। 1423 ई0 में मुबारकशाह ने कटेहर में माल और महसूल संग्रह किया। इस समय महाबत ख़ाँ जिसको सुल्तान के पिता खिज़्र ख़ाँ से बड़े ख़तरे की आशंका थी,, मुलाकात के लिए आया और उसे क्षमा प्रदान की गयी।[३३] महाबत ख़ाँ का 1426 ई0 के बाद उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद सुल्तान मुबारकशाह द्वारा उसके स्थान पर मियां जीमन को नियुक्त किया गया प्रतीत होता है।

19 फरवरी 1434 ई0 को सरवरुलमुल्क की प्रेरणा से सुल्तान मुबारकशाह की हत्या कर दी गयी और मुहम्मदशाह सुल्तान बना। सरवरुलमुल्क के विश्वासघाती व्यवहार और षड्यन्त्रकारी प्रवृत्तियों ने उसके विरुद्ध वातावरण तैयार कर दिया। खिज़्र ख़ाँ के काल के अनेक अमीरों और मलिकों जैसे सम्भल और अहार (बुलन्दशहर के उत्तर पूर्व में 24 कि0मी0 पर) का मुक्ती मलिक अलहदाद काका लोदी, बदायूं का मुक्ती और मृतक खाने जहाँ का पौत्र मियां जीमन, अमीर अली गुजराती तथा अमीर कोकं तुर्क बच्चा ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया।[३४] सरवरुल्मुल्क ने इन विद्रोहियों से निपटने के लिए मलिकुशशर्क कमालुल्मुल्क तथा खाने आज़म सैयद ख़ाँ को नियुक्त किया। सरवरुल्मुल्क का पुत्र मलिक यूसुफ तथा सुधरन कांगू भी इस सेना के साथ भेजे गए। मलिक जीमन तथा मलिक अलहदाद ने संयुक्त रूप से सरवरुल्मुल्क द्वारा भेजी गयी सेना का प्रतिरोध किया। कुछ समय बाद सरवरुल्मुल्क का सुल्तान मुहम्मद शाह की हत्या का षड्यन्त्र असफल हो गया और स्वयं सरवरुल्मुल्क मारा गया।

इस सफलता के बाद सब अमीरों और मलिकों ने सुल्तान के प्रति स्वामिभक्ति प्रकट की सुल्तान मुहम्मदशाह पुन: आम लोगों की अनुमति से सिंहासन पर बैठा। कमालउल्मुल्क को बज़ीर बनाकर कमाल ख़ाँ की उपाधि दी गयी। मलिक जीमन को गाज़ीउल्मुल्क की उपधि देकर अमरोहा और बदायूं की जागीरें उसके लिए बहाल की गयी।[३५] अन्तिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलमशाह (1443-1476 ई0) को बदायूँ से अत्यधिक लगाव था। 1447 ई0 में वह दिल्ली से बदायूँ गया और कुछ समय तक वहाँ ठहरने के बाद दिल्ली वापस आ गया। याहिया बिन अहमद के अनुसार सुल्तान को बदायूँ बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि वह सदैव वहीं रहना चाहता है। वज़ीर हुसाम ख़ाँ ने ईमानदारी से सुल्तान से कहा कि दिल्ली के स्थान पर बदायूँ को राजधानी बनाना बड़ी भूल होगी। सुल्तान इस परामर्श से अप्रसन्न हुआ और बदायूँ के लिए प्रस्थान कर गया। उसने अपनी पत्नी के एक भाई को शहनाए शहर बनाया और दूसरे को अमीरे कोह बनाकर दिल्ली में छोड़ दिया ।

दिल्ली में उसकी पत्नी के भाई परस्पर झगड़ पड़े और उनमें से एक मारा गया। दूसरे दिन हुसाम ख़ाँ के उकसाने पर नगर निवासियों ने दूसरे भाई का भी वध कर दिया। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया ओर शासन का बागडोर संभालने के लिए बहलोल को बुलाया (145 ई0)।

मलिक बहलोल ने अलाउद्दीन के पास इस आशय का एक संदेश भेजा कि वह केवल सुल्तान की भलाई के लिए प्रयास कर रहा है। अलाउद्दीन ने उत्तर में लिखा ''मेरे पिता तुमको अपना पुत्र कहते थे। मेरे पास तुम्हारा सामना करने का कोई साधन नहीं है। मैं बदायूँ के केवल एक जिले से सन्तुष्ट हूं और अपनी राज सत्ता तुम्हें सौंपता हूँ।'' बहलोल ने अलाउद्दीन को बदायूँ से नहीं निकाला और अपनी मृत्यु 1476 ई0 तक वह बदायूँ में ही रहा।[३६]

लोदी सुल्तानों का शासन बहलोल लोदी द्वारा 1451 ई0 में प्रारम्भ हुआ। 1452 ई0 में अधीनता स्वीकार करने पर दरिया ख़ाँ लोदी को ही सम्भल का मुक्ती बना रहने दिया गया, वह पहले से ही इस पद पर था।[३७] बदायूँ का क्षेत्र सुल्तान अलाउद्दीन के ही पास बना रहने दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सम्भल तथा बदायूँ की शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया। सुल्तान अलाउद्दीन (सैय्यद) की बदायूँ में मृत्यु होने पर इटावा से सुल्तान हुसैन शर्की अपने श्वसुर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए बदायूँ पहुचा। शोक की प्रथाओं के समाप्त होने के उपरांत उसने सुल्तान अलाउद्दीन के पुत्र से बदायूँ को लेकर अपने अधिकार में कर लिया और इस प्रकार कृतघ्नता प्रदर्शित की।[३८]

बदायूँ से सुल्तान हुसैन शर्की सम्भल पहुचा। दरिया ख़ां के पुत्र ततार ख़ाँ को पकड़ा गया और बन्दी बनाकर सारन भेजा गया। इस समय तक दरिया ख़ाँ अवश्य ही मर चुका होगा, क्योंकि सम्भल पर उसके पुत्र का अधिकार था। शर्की सुल्तान को बहलोल लोदी ने पराजित किया। इसके पश्चात् बदायूँ और सम्भल के क्षेत्र बहलोल के चचेरे भाइयों खाने जहाँ लोदी और मसनद-ए-अली महबूब ख़ाँ लोदी साहू खेल को दिए गए प्रतीत होते हैं।[३९] 1479 ई0 में ख़ाने जहाँ लोदी मर गया।

सुल्तान बहलोल लोदी ने खाने जहाँ लोदी के पुत्र हुसैन ख़ाँ को उसके पिता की उपाधि ख़ाने जहाँ देकर पिता के स्थान पर नियुक्त कर दिया।[४०] इसी कारण इसे भी ख़ाने जहाँ लोदी कहा जाता है। यह द्वितीय ख़ाने जहाँ एक उदार और विशाल ह्रदय व्यक्ति था। वाक़ेआते मुश्ताक़ी में शेख रिज़्कुल्लाह मुश्ताक़ी ने इसकी उदारता और दानशीलता का विवरण दिया है। वह विद्वानों और उलेमाओं का संरक्षक

था। कहा जाता है कि जो भी विद्वान उसके पास बदायूँ आते थे, उन्हें वह भूमि अनुदान दिया करता था। उपलब्ध उदाहरण से जहाँ एक ओर द्वितीय ख़ाने जहाँ लोदी की दानशीलता और धर्मपरायणता का संकेत मिलता है, वहीं यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उसकी इन सद्वृत्तियों का और उदारता का विद्वान वर्ग अनुचित लाभ उठाया करता था।[४१] द्वितीय ख़ाने जहाँ की मृत्यु 1495-1496 ई0 में हुई। सुल्तान सिकन्दर ने उसके पुत्र अहमद ख़ां को न तो ख़ाने जहाँ की उपाधि दी और न ही बदायूँ ही सौंपा। बदायूँ का नया मुक्ती मियां जैनुद्दीन को बनाया गया, जो ख़ाने जहाँ के काल में पदाधिकारी रह चुका था। मियां जैनुद्दीन भी ईमानदार, सुसंस्कृत, दयालु और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मुंशताक़ी के अनुसार मियां जैनुद्दीन इतने धर्मनिष्ठ तथा भाग्यशाली थे कि उनके विषय में यह छन्द पढ़ा जा सकता है :-

"मैं अपने काल का आसिफ हूँ और निष्ठा के इस अकाल में

मेरा स्वरूप स्वामियों का है और चरित्र दरवेशों का।"

मुख़्ताक़ी उसके चरित्र के विषय में लिखता हुआ कहता है कि उस काल के पदाधिकारी ऐसे थे, जैसे कि आज के मशायख (सन्त) भी नहीं हैं।[४२] बदायूँ शहर और बदायूँ सरकार के मदरसों के रखरखाव के लिए व विद्वानों के संरक्षण के लिए मियां जै़नुद्दीन ने उदारता से सहायता की। रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताक़ी ने मियां जै़नुद्दीन के व्यक्तिगत जीवन के विषय में जो लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि उसकी सीमाओं में जो ज़मींदार थे, उन सबसे उसके सम्बन्ध मधुर थे। उनमें से कई समय-समय पर बदायूँ में उसके दरबार में उपस्थित रहते थे। सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1499-1500 ई0 में सम्भल की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पर चार वर्ष ठहर कर राज्य के कार्य सम्पन्न कराता रहा और भोग विलास में समय व्यतीत करता रहा। अपना अधिकांश समय वह चौग़ान खेलने तथा शिकार में व्यतीत करता था।[४३] निश्चित ही सुल्तान के स्वयं सम्भल में स्थाई निवास करने से वहाँ का महत्त्व बढ़ गया।

सिकन्दर लोदी के शासनकाल तक (1517 ई0) मियां जै़नुद्दीन की स्थिति अच्छी रही। सुल्तान सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त जै़नुद्दीन का अधिकार क्षीण हो गया। इब्रहीम लोदी ने बदायूँ का इक़्ता द्वितीय ख़ाने जहाँ के पुत्र अहमद ख़ाँ को प्रदान किया और सम्भल पर मियां कासिम का अधिकार रहा। 1518 ई0 में जब कोल परगने के अधीन जरतौली के जमींदार मानचन्द ने सिकन्दर सूर के पुत्र उमर से युद्ध करके उसकी हत्या कर दी थी, तब उस समय सम्भल के हाकिम मलिक

कासिम ने उस पर चढ़ाई करके उसे पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। वहाँ से वह कन्नौज पहुंचा, जहाँ सुल्तान इब्राहीम लोदी पड़ाव किए हुए था।[४४]

पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारतीय इतिहास के परिदृश्य को बदल दिया। सम्भवत: अहमद ख़ाँ लोदी पानीपत की लड़ाई (1526 ई0) में मारा गया, जब कि मियां कासिम लोदी वंश के पतन के बाद भी बचा रहा। बाद में बाबर ने उसे हटाया। पानीपत में विजय के तुरन्त बाद बाबर ने सम्भल में मुहम्मद कोकुलताश को नियुक्त किया और उसे ही सम्भल पर अधिकार करने को कहा गया, परन्तु इससे पहले कि कोकुलताश वहाँ के लिए प्रस्थान कर सके, सम्भल हुमायूँ को प्रदान किया गया।

उपर्युक्त विवरण के विश्लेषण करने से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि सल्तनत की स्थापना के समय से ही कटेहर, बदायूँ और सम्भल पर सुल्तानों की विशेष दृष्टि रही। इसका प्रमुख कारण यह था कि ये सभी इलाके राजधानी दिल्ली के निकट तो थे ही, साथ ही इनमें खाद्यानों का उत्पादन भी पर्याप्त होता था। अत: इन पर नियन्त्रण रखना व इन्हें अपनी अधीनता में रखना सभी सुल्तानों के लिए आवश्यक था। इसी कारण बदायूँ के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुक्ती को नियुक्त करते समय विशेष सावधनी बरती जाती थी और प्रयास यही रहता था कि अनुभवी मुक्ती ही इस इलाके की व्यवस्था को देखें। बदायूँ में मुक्ती की सहायता के लिए पर्याप्त सैनिक भी रखे जाते थे, क्योंकि अनेक अवसरों पर बदायूँ का मुक्ती अपनी सेना के साथ सुल्तान की सहायतार्थ भी अभियानों पर गया है।

कभी-कभी सुल्तानों की नीतियों का प्रतिवाद करने के लिए भी मुक्ती विद्रोह करने को उतारू हो जाते थे, जैसा कि रुकनुद्दीन फ़ीरोज़ व खिज्र ख़ाँ सैयद के शासनकाल में बदायूँ में नियुक्त मुक्तियों ने किया। इतना होने पर भी बदायूँ में नियुक्त मुक़्ती को सदैव चौकन्ना व तैयार रहना पड़ता था और कटेहरियों के विद्रोह दमन और वहाँ कर वसूलने के लिए अनेक बार जाना पड़ता था। इन मुक्तियों के कारण कटेहर पर सतत् दबाव बना रहा। यद्यपि एक अवसर पर बदायूँ के मुक़्ती की हत्या करने में कटेहरिया सफल रहे, परन्तु ऐसे उदाहरण एकाकी ही हैं। अत: यह स्वीकार करना उचित ही होगा कि योग्य मुक़्तियों के बल पर ही सुल्तान कटेहर पर नियन्त्रण बनाए रखने में सफल रहे।

जैसा कि प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है कि सुल्तानों ने अमीर वर्ग को नकद वेतन के बदले में इक़्ता प्रदान करने की परम्परा प्रारम्भ की। अधिकारियों को जो इक़्ता प्रदान किया जाता था,

उसके बदले में उन्हें अपने अधीन एक सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, जिसकी व्यवस्था वह इक्ते से प्राप्त आमदनी से करता था। कटेहर, बदायूँ और सम्भल का यह क्षेत्र सदैव से हरा-भरा रहा और खाद्यान्न उत्पादन में महत्त्वपूर्ण रहा। इसकी आर्थिक समृद्धि ने शासन व्यवस्था और समसामयिक घटनाक्रम को किस प्रकार प्रभावित किया इस पर दृष्टिपात करना उचित ही होगा।

सल्तनतकालीन कटेहर की आर्थिक स्थिति एवं तज्जन्य प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव :-

भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है। चूँकि कृषि कर्म यहाँ के जनजीवन से सदैव अभिन्न रहा है, इसलिए इतिहास लेखकों का ध्यान इस ओर कम ही गया। इतिहास लेखकों ने कृषि तथा अन्य आर्थिक पक्षों का उल्लेख तभी किया है, जब कुछ नवीन या क्रान्तिकारी गतिविधि इस क्षेत्र में हुई हो। इसी कारण प्रारम्भिक तुर्की काल के समकालीन इतिहासकार कृषि सम्बन्धी कार्यकलापों की विशेष सूचना नहीं देते। उनका मौन इस बात का संकेत है कि उन्होंने कृषि के विषय में यहां कुछ भी नया नहीं पाया था। राजनैतिक घटनाक्रम ही इतिहासकारों के विवरण का मुख्य विषय रहा है। ज़ियाउद्दीन बरनी और इब्नेबतूता के विवरण कटेहर की कृषि व अर्थव्यवस्था पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में जंगल बहुतायत में थे, परन्तु कृषि की स्थिति भी अच्छी थी।

ज़ियाउद्दीन बरनी ने अलाउद्दीन ख़िलजी की भूराजस्व नीति का सविस्तार वर्णन किया है, साथ ही उसने कटेहर का स्पष्ट उल्लेख उस सूची में किया है जिन भागों में ये नवीन व्यवस्थायें लागू की गयी थीं। जिस सफलता से सुल्तान के आदेश लागू किए गए और राजस्व का पूरा अंश वसूल किया गया उसका श्रेय नायब वज़ीर शर्फ कायिनी को जाता है। कई वर्षों तक इस अधिकारी ने साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुल्तान के अधयादेश लागू करने का कठोर प्रयत्न किया। वह दिल्ली के आस-पास के ज़िलों, जैसे पालम, रेवारी, अफगानपुर, अमरोहा, बदायूँ और कोल में, पश्चिम तथा उत्तर में देवपालपुर, लाहौर, समाना, सुनम और कटेहर के अनुविभागों में और दक्षिण में मालवा तथा राजपूताना के कुछ हिस्सों से भूमि-मापन की पद्धति प्रारम्भ करने में सफल हुआ।[४५] बरनी के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बदायूँ, अमरोहा व कटेहर में अलाउद्दीन ख़िलजी के राजस्व सुधार सफ़लतापूर्वक लागू किए गए थे।

इस सुधार योजना के अन्तर्गत अन्य इलाकों के साथ-साथ कटेहर में भी भूमि अनुदानों का अन्त कर दिया गया। अन्य कार्रवाइयां खूतों (जमींदारों), मुकद्दमों (मुखियों) और बलाहारों (किसानों)

को प्रभावित करने वाली थीं। खूतों और मुकद्दमों के प्रति अलाउद्दीन की शिकायत यह थी कि वे किसानों से तो विभिन्न शुल्क वसूल कर लेते थे, परन्तु स्वयं खराज, जज़िया, करी और चराई जैसे प्रचलित कर चुकाने में आनाकानी करते हैं। अतः खूतों और मुकद्दमों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और भूमिपतियों तथा काश्तकारों के लिए राजस्व चुकाने के समान नियम लागू किए गए। जहाँ तक हिन्दुओं का सम्बन्ध है, उनके पास इतना धन बचने नहीं दिया गया कि वे घुड़सवारी कर सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, पान खा सकें और विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकें। अलाउद्दीन खिलज़ी ने उपज का पचास प्रतिशत सरकार को दिए जाने का नियम लागू कराया। इस नियम ने भी, जहाँ-जहाँ यह लागू किया गया, जिसमें कटेहर भी शामिल था, वहाँ के जनजीवन को प्रभावित किया। बरनी के अनुसार इसलिए लोग ऐसे आज्ञाकारी बन गए कि माल का एक अफसर बीस खूतों, मुकद्दमों और चौधरियों को गर्दन पकड़कर ले जा सकता था और थप्पड़ें मारकर उनसे जज़िया कर दिलाता था।[४६]

अलाउद्दीन खिलजी ने खराज (भूमिकर) की वसूली की दर पचास प्रतिशत निश्चित की। भूमिकर तय करने के लिए नाप की एक समान पद्धति प्रारम्भ की गयी थी। वफ़ा-ए-बिस्वा से तात्पर्य बिस्वा से है, जो बीघे के बीसवें भाग की ओर संकेत करता है। चूंकि बिस्वा भूमि की सबसे छोटी इकाई था, अतः बिस्वा की उपज ही भूमि कर निर्धारण का मूलाधर थी। इस प्रकार अमीरों और गरीबों सबकी भूमि से पचास प्रतिशत की दर से भूमि कर वसूल किया जाने लगां इस नियम ने जमींदारों को स्वतः ही कृषकों की स्थिति में ला दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू जिनका एक प्रकार से कृषि पर एकाधिकार था, इतने अधिक दरिद्र हो गए कि उनके घरों में सोना, चाँदी, टंक या जीतल या किसी प्रकार की फालतू चीजें दिखाई नहीं देती थीं। बरनी के अनुसार निर्धनता से विवश होकर खूतों और मुकद्दमों की स्त्रियाँ मुसलमानों के घरों में मज़दूरी करती थीं।[४७]

अलाउद्दीन खिलज़ी के कृषि सम्बन्धी सुधर व परिवर्तन तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता के परिणाम थे। विद्रोहों की जड़ को समाप्त करने व सशक्त सैन्य संगठन सीापित करने के लक्ष्य से ये परिवर्तन किए गए थे। आर्थिक सम्पन्नता के स्थान पर आर्थिक विपन्नता की चपेट में आने के कारण अन्य क्षेत्रों की भांति कटेहर की हिन्दू जनसंख्या भी इन नियमों से प्रभावित हुई। कटेहर की आर्थिक सम्पन्नता जो कटेहरियों की विद्रोहात्मक गतिविधियों का एक प्रमुख कारण थी, उस पर अंकुश लगने से उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रभावित हुई और साथ ही जनजीवन तो प्रभावित हुआ है। इसी कारण

अलादद्दीन ख़िलज़ी के शासनकाल में कटेहर में हम अपेक्षाकृत शान्ति पाते हैं।

ज़ियाउद्दीन बरनी ने मुहम्मद बिन तुग़लक़ के शासनकाल में 1333 से 1338 ई0 के मध्य पड़ने वाले भीषण अकाल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जन आकांक्षाओं की परवाह न करते हुए सुल्तान ने राजस्व की दर में वृद्धि कर दी। इसका प्रभाव कटेहर के इलाके पर भी पड़ा। बरनी के अनुसार ''वर्षा के न होने के कारण प्रजा का उपकार न हो सका। देहली में अनाज का भाव बढ़ता गया और लोग बहुत बड़ी संख्या में नष्ट होने लगे। यद्यपि सुल्तान बदायूँ तथा कटेहर की ओर चरागाह की खोज में एक दो बार गया और कई दिनों तक भ्रमण करके देहली लौट आया, किन्तु फिर भी किसी का उपकार न हुआ। अकाल के कारण कष्टों में वृद्धि होती गयी। लोग भूख से तथा चौपाये चारे के अभाव में मरते ही गये।[४८] ऐसा प्रतीत होता है कि कटेहर पर अकाल का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, इसी कारण सुल्तान को वहां से राहत प्राप्त होने की आशा थी। जंगलों का बाहुल्य और पर्वतों के पाद प्रदेश में स्थित होने के कारण नदियाँ होने से भी कटेहर की दशा अन्य इलाकों से बेहतर रही होगी।

इब्नेबतूता के विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अथवा विभिन्न आवश्यकताओं के समय अन्य स्थानों से दिल्ली के लिए अनाज मंगवाया जाता था। एक बार वज़ीर ने ख़ानकाह के लिए निर्धरित अनाज में से दस हज़ार मन अनाज दे दिया और शेष के लिए लिख दिया कि शेष अमरोहा के इलाके से दे दिया जाए। अनाज की इस अवशेष मात्रा को प्राप्त करने के लिए इब्नेबतूता को स्वयं अमरोहा जाना पड़ा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अनाज का भंडारण करने के लिए ग्रामों के ऊपर कुछ केन्द्र होते थे, ऐसा ही एक केन्द्र अमरोहा था। इब्नेबतूता ने यह भी लिखा है कि अमरोहा के वालिद ख़राज अज़ीज़ ख़ुम्मार के अधीन पन्द्रह सौ ग्राम थे और उनका वार्षिक कर सात लाख चांदी के टंके थे। इसका बीसवाँ भाग वालिये ख़राज को प्राप्त होता था।[४९]

इस उद्धरण से अमरोहा के इलाके की तत्कालीन समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है और यह भी कि कृषि तथा अनाज के उत्पादन में वह आत्मनिर्भर तो था ही, आवश्यकता पड़ने पर राजधानी की सहायता भी करता था। इसी प्रकार बाबर के शासनकाल में सम्भल का उल्लेख प्राप्त होता है। तुज़ुके बाबरी में बाबर ने अवगत कराया है कि सम्भल का भू-राजस्व एक करोड़ अड़तालीस लाख चवालीस हजार टंका था।[५०] लोदी सुल्तानों के काल में सम्भल को सरकार का दर्जा हासिल हो गया था जो उसकी राजनैतिक महत्ता का द्योतक है। इसी क्रम में तुज़ुके बाबरी में उल्लेख सम्भल की

आर्थिक सम्पन्नता को दर्शाता है। अमरोहा तथा सम्भल की सम्पन्नता कटेहर की इसी प्रकार की सम्पन्नता की ओर इंगित करती है। कटेहर की आर्थिक मामलों में भागीदारी के सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कटेहर की प्रमुख टकसालें आंवला, बदायूँ, सम्भल, बरेली और मुरादाबाद में थी। बदायूँ की टकसाल में बना नासिरुद्दीन महमूद के काल का चाँदी का सिक्का इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सुल्तान के नाम के साथ ख़लीफा का नाम भी है।[५१]

कटेहर की विशिष्ट आर्थिक स्थिति की भांति ही कटेहर में जंगलों के बाहुल्य ने प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक घटनाक्रम को और परोक्ष रूप से इस इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहाँ एक ओर यह जंगल सुल्तानों के मनपसन्द शिकारगाह बने रहे, वहीं कटेहरियों की शरण स्थली भी। इसी कारण इन जंगलों में हुए संघर्षों ने सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को भी समय-समय पर प्रभावित किया।

1267 ई0 में बलबन ने जब कटेहर में भीषण दमनचक्र चलाया, तो प्रत्येक गाँव और जंगल के समीप मृतकों के ढेर लग गए। लकड़हारों को जंगलों में मार्ग बनाने के लिए भेजा गया और इन मार्गों पर होकर जब सेना निकली, तो उसने हिन्दुओं का वध किया।[५२] फ़ीरोज़ तुग़लक़ के शासनकाल में कटेहरिया राजा ख़ड़गू ने बदायूँ के गवर्नर सैय्यद मुहम्मद ओर उसके भाई की हत्या कर दी। 1380-81 ई0 में सुल्तान ने कटेहर की ओर प्रस्थान किया और कटेहरिया राजपूतों तथा सुल्तान की सेनाओं में आँवला तथा अहिच्छत्र के बीच के जंगली प्रदेश में युद्ध हुआ।[५३] खड़गू को पकड़ा न जा सका। सुल्तान कटेहरियों से इतना कुपित हुआ कि शिकार के बहाने वह प्रतिवर्ष कटेहर जाया करता था। वह प्रदेश इतना उजाड़ हो गया कि शिकार के अतिरिक्त कुछ भी वहां न रह गया।[५४] अफ़ीफ ने भी लिखा है कि हिरन, गोर तथा नीलगाय आदि के शिकार अधिकांशतः बदायूँ तथा आँवले के पास होते थे। इसी कारण शिकार के लिए यह स्थान विशेष रूप से छोड़े गये थे, शिकारगाह बनाए गये थे।[५५] अंतिम तुग़लक़ सुल्तान महमूद भी 1412 ई0 में शिकार खेलने के उद्देश्य से कटेहर गया और कुछ समय तक शिकार खेलकर दिल्ली वापस लौट आया।[५६]

ख़िज्र ख़ाँ सैयद के शासनकाल में 1418 ई0 में कटेहरिया राजा हरसिंह ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। ख़िज्र खां ने मलिक ताजुल्मुल्क को विपुल सेना देकर कटेहर के हर सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जब इस सेना ने गंगा पार की, तो हरसिंह ने कटेहर का इलाका बर्बाद कर दिया, और आँवला के जंगलों में घुस गया, जो उस इलाके के पास चौबीस कोस तक फेला हुआ है।

इस्लाम की सेना ने जंगल के पास डेरे डाले। हरसिंह जंगल में बन्द हो गया। इसलिए उसको विवश होकर लड़ना पड़ा। शाही सेना को विजय प्राप्त हुई और काफ़िरों का माल, असबाव, घोड़े और शस्त्र सब उनके हाथ में आ गये। हरसिंह कुमाऊँ की पहाड़ियों की ओर भाग गया। अगने दिन बीस हज़ार सवार उसका पीछा करने के लिए भेजे और ताज़्ज़ुल्मुल्क अपनी सेना और असबाव के साथ उसी स्थान पर ठहरा रहा। इस्लाम की सेना ने रहब को पार किया और कुमाऊँ की पहाड़ियों में शत्रु का पीछा किया। हरसिंह पहाड़ियों में आगे बढ़ता गया इसलिए पांचवें दिन शाही सेना बहुत सारा लूट का माल लेकर वापस लौट आई। [५७]

1419 ई0 में खिज्र खाँ के भी कटेहर क्षेत्र में किए गए एक अभियान की जानकारी तारीख़-ए-मुबारकशाही से प्राप्त होती है। पहले तो उसने कोल प्रदेश के विद्रोहियों को दण्ड दिया और उसके बाद उसने रहब (रामगंगा) और सम्भल के जंगलों को खूँदा और विद्रोहियों को उखाड़ दिया।[५८] इसी प्रकार नियामतुल्ला के अनुसार सुल्तान सिकन्दर लोदी ने भी 1493-94 ई0 में अवध और कटेहर में शिकार का आनन्द लिया। [५९]

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण सल्तनत काल में कटेहर का जंगलों से युक्त प्रदेश सल्तनत के राजनैतिक घटनाक्रम को प्रभावित करता रहा। विद्रोहियों के दमन तथा सुल्तानों की शिकार यात्रायें यहाँ के निवासियों के जनजीवन को प्रभावित करती रहीं। सुल्तानों का शिकार पर जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता था, इसके लिए अत्यधिक तैयारी की जाती थी और बहुत साज-सामान के साथ शिकार के लिए प्रस्थान किया जाता था।

अत: निष्कर्षत: यह स्वीकार किया जा सकता है कि व्यापक रूप से सम्पूर्ण सल्तनत काल में कटेहर के इलाके को अनुभवी और योग्य प्रशासनिक अधिकारियों के नियन्त्रण में रखा गया। कटेहरियों द्वारा किए जाने वाले बड़े विद्रोहों, उत्पन्न की जाने वाली अशांति, विभिन्न करों के समय पर अदा न करने आदि की गम्भीर स्थिति में स्वयं विभिन्न सुल्तानों को समय-समय पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए इस इलाके में विशाल सेना के साथ सैनिक अभियान करने पड़े। आर्थिक रूप से स्वयं पोषित कटेहर क्षेत्र की खुशहाली भी कतिपय सुल्तानों की आँखों की किरकिरी बनी और उन्होंने अपने विभिन्न अर्थ व राजस्व सम्बन्धी उपायों को अपनाकर इस क्षेत्र का पर्याप्त आर्थिक शोषण किया। जब उपर्युक्त उपायों से भी कटेहर पर पूर्ण व स्थाई नियन्त्रण स्थापित न हो सका, तब शिकार यात्राओं के माधयम से दमनात्मक कार्रवाइयाँ करने और कटेहरियों के हृदय में भय उत्पन्न करने का

प्रयास भी किया जाता रहा। कटेहरियों की गतिविधि का क्रमशः सीमित और संकुचित होने का एक प्रमुख कारण यही रहा कि उपर्युक्त माधयमों से कटेहर की प्रशासनिक व्यवस्था को दृढ़ से दृढ़तर किया जाता रहा और यह क्रम न्यूनाधिक रूप से सम्पूर्ण सल्तनत काल में जारी रहा।

सन्दर्भ :-

1. सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूरकालीन भारत, भाग -1 पृ0-9 हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 1958।
2. फ़खर-ए-मुद्दबिर, तारीख़-ए-फ़खरुद्दीन मुबारकशाह, सम्पादक डेनिसन रोस, पृ0-24 लन्दन 1927
3. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड द्वितीय, पृ0-233. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1974।
4. वही,, पृ0 - 234.
5. वही, पृ0 -238.
6. मिनहाजुस सिंराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी, खण्ड द्वितीय, पृ0-736, मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970 एवं एस0बी0पी0 निगम, नोबिल्टी अण्डर द सुल्तान्स ऑफ देहली,, पृ0-194. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1968.
7. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरा लाल शर्मा, खण्ड द्वितीय पृ0-239, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.
8. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रेवर्टी, खण्ड द्वितीय, पृ0-749-750. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970.
9 एस0बी0पी0 निगम, नोबिल्टी अण्डर द सुल्तान्स ऑफ देहली, पृ0-194. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1968.
10 मिनहाजुससिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी, खण्ड द्वितीय, पृ0 752-753, मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970.
11. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड द्वितीय, पृ0-245. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.
12. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी खण्ड द्वितीय, पृ0-754-755. मुन्शीराममनोहर लाल, दिल्ली 1970.
13. वही, पृ0-757.
14. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड द्वितीय, पृ0-248. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.
15. वही, पृ0-252.
16. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी, खण्ड द्वितीय, पृ0-783. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970.
17. वही, पृ0-825-826.

18. वूल्ज़ले हेग, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड-तृतीय, पृ0-69. एस चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1965.
19. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी, खण्ड द्वितीय, पृ0-832. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970.
20. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड द्वितीय, पृ0 256 एवं 269. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.
21. मिनहाजुस सिराज, तबकाते नासिरी, अनु0 रैवर्टी, खण्ड द्वितीय, पश0-836. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1970.
22. वही, पृ0 - 759.
23. ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़-ए-फ़ीरोज़शाही, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड तृतीय, पृ0-67. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.
24. शेख अब्दुर्रशीद, जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह ख़िलजी, अनु0 मोहम्मद उमर, पृ0-19. इतिहास विभागीय प्रकाशन, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, 1957.
25. एस0बी0पी0 निगम, नोबिलटी अण्डर द सुल्तान्स, ऑफ देहली, पश0-194. मुन्शीराम मनोहर लाल, दिल्ली 1968.
26. ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़-ए-फ़ीरोजशाही, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड तृतीय पृ0-100. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, 1974.
27. मुहम्मद इफ़ज़ाल-उर-रहमान ख़ाँ, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल कटेहर (शोध प्रबन्ध) पश0-111.
28. इब्नेबतूता, रेहला अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तुग़लककालीन भारत, भाग-1, पृ0-171, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1956.
29. इब्नेबतूता, रेहला अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तुग़लक़कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-252-253. हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1956.
30. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तुग़लक़कालीन भारत, भाग दो, पृ0-204, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1957.
31. मो0 हबीब एवं के0ए0 निज़ामी-दिल्ली सल्तनत भाग-1 (सम्पादित) लेखक-बी0पी0 सक्सेना, लेख-फ़ीरोज़शाह तुग़लक़, पृ0 514. द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 1978.
32. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-19., हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1958.
33. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, भारत का इतिहास इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, ख़ण्ड चतुर्थ, पृ0-44. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1968.
34. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-52 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1958.
35. वही, पृ0-53-54.

36. याहिया याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-55, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1958 तथा हबीब एवं निज़ामी सम्पादित दिल्ली सल्तनत, भाग-1, पृ0-564. द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 1978.

37. निज़ामुद्दीन अहमद-तबकाते अकबरी अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक पृ0-199. हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1958.

38. वही, पृ0 207.

39. मुहम्मद इफ़ज़ाल-उर-रहमानखाँ, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल कटेहर (शोध प्रबन्ध) पृ0-115.

40. निज़ामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पश0-208, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,अलीगढ़, 1958. एवं नियामतुल्ला, तारीख-ए-खान जहाँ लोदी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड पंचम् पृ0 -73. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1969.

41. शेख रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी़ वाके़आते मुश्ताकी़ अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तैमूरकालीन भारत, भाग-एक, पृ0-136-137. हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 1958.

42. वही, पश0-137-138.

43. निज़ामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-217, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1958.

44. निज़ामुद्दीन अहमद, तबकाते अबबरी अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग-एक, पश0-235, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ,अलीगढ़, 1958.

45. किशोरी सरल लाल, ख़लजी वंश का इतिहास, पश0-184. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 1970.

46. ज़ियाउद्दीन बरनी तारीखे़-फ़ीरोज़शाही, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु. मथुरालाल शर्मा, खण्ड तृतीय, पृ0 128-129. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1974.

47. वही, पृ0-129.

48. ज़ियाउद्दीन बरनी तारीखे़-फ़ीरोज़शाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तुग़लक़ कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-52-53, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ,अलीगढ़, 1956.

49. इब्नेबतूता, रेहला, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़वी, तुग़लक़कालीन भारत, भाग-एक, पृ0-252-253. हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ,अलीगढ़, 1956.

50. बाबर, तुज़के बाबरी भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड चतुर्थ, पृ0-197. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1968.

51. नेल्सन राइट, द सुल्तान्स ऑफ देलही-देयर क्वाइनेज एण्ड मेट्रोलोजी पृ0-54. आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1936.

52. ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीखे़ फ़ीरोज़शाही, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड तृतीय, पृ0-71, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1974.

53. बी0सी0 लाहा, पाँचाल्स एण्ड देयर कैपिटल अहिच्छत्र, मेमायर्स ऑफ आर्कयालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सं0 -67, पृ0-6.

54. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़्वी, तुग़लक़कालीन भारत, भाग दो, पृ0-204, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 1957.

55. शम्से सिराज अफ़ीफ़, तारीख-ए-फ़ीरोज़शाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़्वी, तुग़लक़ कालीन भारत, भाग-दो, पृ0-131, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 1957.

56. याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारकशाही, अनु0 सैयिद अतहर अब्बास रिज़्वी, तुग़लक़ कालीन भारत, भाग-दो, पृ0-11-12, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 1957.

57. याहिया बिन अहमद, तारीख-ए-मुबारकशाही,, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड चतुर्थ, पृ0-37-38, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, 1968.

58. याहिया बिन अहमद, तारीख-ए-मुबारकशाही,, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड चतुर्थ, पृ0-38, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, 1968.

59. नियामतुल्ला, तारीख़-ए-ख़ानेजहाँ लोदी, भारत का इतिहास, इलियट डाउसन, अनु0 मथुरालाल शर्मा, खण्ड पंचम्, पृ0-78. शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा, 1969